विधान सभा मंत्र - जुलाई 2017 [27/7/2017]
तारांकित प्रश्न क्रमांक 3043 के उत्तरांश 'क' का परिशिष्ट - एक
प्रश्न सं. [क. 3043]

2003 का 18

(ढ) "सतत उपयोग" का वही अर्थ होगा, जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ण) में है;

(ण) "अन्य परम्परागत वन निवासी" से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है.

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजन के लिए "पीढ़ी" से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है;

(त) "ग्राम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

1996 का 40

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई ग्राम, या

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र; या

(iii) वन ग्राम पुरातन निवास या बस्तियां और असर्वेक्षित ग्राम, चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं; या

(iv) उन राज्यों की दशा में, जहां पंचायतें नहीं हैं, पारम्परिक ग्राम, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों.

1972 का 53

(थ) "वन्य पशु" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु की ऐसी प्रजातियां अभिप्रेत हैं, जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती हैं.

अध्याय 2
वन अधिकार

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार.

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वनभूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं, अर्थात्:—

(क) वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार;

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित हैं;

(ग) गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपारिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है;

(घ) यायावरी या चारागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार;

(ङ) वे अधिकार, जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भू-धृतियां भी हैं;

(च) किसी ऐसे राज्य में, जहां दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार;

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार;

(ज) वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं;

(झ) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं;

(ञ) ऐसे अधिकार, जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद् या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद् की विधियों के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजाति की किसी पारंपरिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ट) जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार;

(ठ) कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका, यथास्थिति, वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है, जो खंड (क) से खंड (ट) में वर्णित हैं, किन्तु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परांपरागत अधिकार नहीं है;

(ड) यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी है जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को 13 दिसंबर, 2005 के पूर्व किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो.

1980 का 69

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात्:—

(क) विद्यालय;

(ख) औषधालय या अस्पताल;

(ग) आंगनबाड़ी;

(घ) उचित कीमत की दुकानें;

(ङ) विद्युत और दूरसंचार लाइनें;

(च) टंकियां और अन्य लघु जलाशय;

(छ) पेयजल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें;

(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं;

(झ) लघु सिंचाई नहरें;

(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत;

(ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;

(ठ) सड़कें; और

(ड) सामुदायिक केन्द्र;

परंतु वन भूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब—

(i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम है; और

(ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो.